GOVERNMENT OF BIHAR
WATER RESOURCES DEPARTMENT
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
IRRIGATION DIVISION, BOUNSI
NIT NO-03/ SBD/2024-25
EMAIL ID- eeirrdivbausi@gmail.com

National Competitive Bidding Invitation

(Through E- Tender mode only – www.eproc2bihar.gov.in)

Lt No....241.......... / Bounsi　　　　　　　　　　　　Date: -...27.... /...02./...2025

1. Works Description: -

Sr no	Name of work	Estimated Revenue Amount to be Generated (in Lakh)	EMD (Payable in Online/ Physical/ Manual Mode) (In Rs.)	BOQ Cost (Non-refundable) Payable in Online Mode only) (In Rs.)	BID Processing Fee Payable to Beltron (Non-refundable) (Payable only in Online Mode).	Completion Period of Work.
01	Desiltation work of Chandan Reservoir through Dredging Process for 10 years.	7536.00	85,36,000.00	10,000.00	5900.00	10 years

2. Name of Officer Inviting Bid. :- EXECUTIVE ENGINEER IRRIGATION DIVISION, BOUNSI
3. Date of Issue of Notice Inviting Tender : -27.02.2025
4. Period of Downloading and Uploading Tender Document: - From 17.03.2025 to 24.03.2025 Only on website (www.eproc2.bihar.gov.in)
5. Time, Date and Place of Pre- Bid Meeting : - 19.03.2025 At 2:30 PM Chief Engineer, Irrigation Creation Water Resources Department, Bhagalpur
6. Time and Date of Opening Technical Bid : - 26.03.2025 at 3.30 PM Only on website (www.eproc2.bihar.gov.in)
7. Time and Date of Opening Financial Bid :- To be Announced later by competent Authority only on website- (www.eproc2.bihar.gov.in)
8. Place of Opening of Bid :- Only on Website- (www.eproc2.bihar.gov.in)
9. Bid Validity :- 120 Days
10. For detailed information visit :- Website : www.eproc2.bihar.gov.in
11. Any Contractor registered with the Central Government/ Any State Government or any PSU or Agency of National repute may participate in the tender but registration with Water Resources Department, Govt, of Bihar will be essential after issue of Letter of Acceptance (LOA) for the work.
12. While participating in e-tendering process, the Contractor shall have to get themselves registered to get User ID, Password and digital Signature. This will enable them to access the website (www.eproc2.bihar.gov.in) and download or participate in tendering process.

13. E- Tendering documents can be downloaded from and dully filled document can be uploaded only on website (www.eproc2.bihar.gov.in)

14. (a) Under e-Tendering/ e-Procurement System, the Bid Processing Fee and the cost of the Tender Documents, which is non Refundable, Must be paid through Online Mode (e-payment Mode) i.e via Internet payment gateway (Credit/Debit card), Net Banking, NEFT/RTGS.

(b) Under e-Tendering /e-Procurement System, the Earnest Money Deposited (EMD) can be submitted in either Online mode (e-Payment Mode) or Physical mode/Manual Payment System. In online Mode, The EMD can be Deposited through Internet Payment Gateway (Credit/Debit card), Net Banking and NEFT/RTGS. In case of Physical Mode/Manual Payment system, the EMD can only be Submitted in the form of Unconditional Bank Guarantee (As per the Format in SBD) which must be valid for 165 days (120+45 Days = 165 days) from the Bid Submission date. The Bank Guarantee must be issued by any Scheduled/ Nationalized Bank situated in Bihar State in favor of Executive Engineer Irrigation Division, Bounsi. (If a Bank Guarantee issued by a bank outside Bihar is submitted then it must be issued by a bank Situated in Bihar before the work agreement is done.)

(c) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-procurement portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non submission of Tender/Non-reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/ Holidays or any other reason."

(d) BSEDC Processing Fee and Tender Fee/ BOQ Fee has to be paid through e-Payment mode only. EMD may be paid either through online or offline Mode (Bank Guarantee).

15. Bidders/ Contractor can access tender Documents on the above-mentioned website, fill them and submit the completed tender documents as electronic tender on the website itself only. Contractor must attach Scanned copies of all paper I.e. Bank draft/Earnest money/All necessary certificates required in Eligibility criteria with electronic tender.

16. Corrigendum/ Addendum/ Corrections, If any will be published on the website only. The undersigned reserves the right to cancel / extend the BID without any prior information or assigning any reason.

17. The contractor should list up serial no. of scanned documents before uploading, so that the particular document may be located soon on the basis of Serial No / Page No. All documents must be uploaded in PDF, MS Office (Compatibility Mode) JPEG, ZIP format. Claims will not be entertained if uploaded documents were not able to download/ open the other format.

18. The contractors should fully satisfy themselves of Download ability /Visibility of scanned uploaded documents.

19. No claim shall be entertained on account of disruption of internet service being used by contractors. Contractors are advised to upload their bids well in advance to avoid last minute technical snag.

20. Regarding Royalty & Seigniorage fee, Mines and Geology department, Govt of Bihar's letter no. 4418 dated 19.10.2024 must be followed.

21. Conditional tender will not be considered valid.

22. Before uploading the bid, the tenderer/ contractor should must inspect the work site and familiarize themselves with the work. Any claim related to work after submission will not be considered valid.

23. In case of more than one successful tenderer quoting the same highest rate, the selection of successful contractor will be done through a lottery system as per the provision of the Bihar Public Works Code.

24. As per Dept. letter no. 01/PMC/Misc/879/2012 part-II-124 Dated 04.02.2021, It is mandatory to submit valid Character Certificate issued by District Superintendent of Police along with the tender.

25. For more information, contact can be made with the undersigned office during office hours. For details/clarifications regarding the e-tendering process, information can be obtained from e-tendering cell, computer cell, Sinchai Bhawan, Patna (0612-2235241) and toll-free no.- 18005726571 or via mail at eproc2support@bihar.gov.in .

26. The Road Construction Department's letter number 3162 (S) Dated 09.05.2016 and Letter number 2863 (E) dated 07.06.2017 shall be applicable.

27. The Water Resources Department's letter number-536 Dated 13.06.2013, as per annexure-1, the prescribed eligibility must be fully met in the form of a Joint Venture.

28. The Road Construction Department, Govt of Bihar, Patna, through notification number – 7435 dated 14.08.2019, has completely reinstated Clause- 25 of SBD regarding "Settlement of Disputes and Arbitration". The Settlement of Disputes and Arbitration shall be done in accordance with the provisions made in the Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act 2008, which will be considered Valid.

29. Within the submerged area of Chandan Reservoir, 216 Hectares of land owned by the Water Resources Department, Govt of Bihar, dredging will be carried out up to a depth of 4 meters for the removal of silt while paying the prescribed royalty for 10 years. This is a self-Financing scheme, where the contractor will be permitted to extract the silt from Chandan Reservoir, separate the sand and silt, and use them for commercial purposes.

30. According to the procedure for determining tender price, the successful tenderer who offers the highest amount will be awarded the dredging work. The tenderer will be required to deposit the specified amount for each year in the treasury as an advance payment for the extracted sand from the reservoir as per predetermined rate in the tender.

31. The payment of royalty and other taxes shall be made by the contractor as per the regulations of the state government.

32. If there is a change in the schedule rate of sand, the Water Resources Department shall also revise the payment by the successful contractor to Water Resources Department. Additionally, the rate of royalty paid to the Department of Mines and Geology for the extracted sand will also be Changed accordingly.

33. Before starting Dredging work in Chandan reservoir, it is mandatory for the selected agency to obtain all necessary environmental and other specific clearance/approvals required for mining, transportation, storage and sale of sand. The responsibility for obtaining all the required approvals/NOCs for this project will rest with the contractor; the selected agency will also bear all the expenses required during obtaining different clearances/NOCs. Additionally, the contractor must comply with all the statutory regulations prescribed by the Mines and Geology Department and other relevant authorities.

34. The selected contractor must pay the prescribed amount annually based on the contractual documents for the minimum assured quantity to be extracted. This payment will be made in two equal half yearly installments before the commencement of the dredging period. The actual quantity extracted will be evaluated semi-annually. If the extracted quantity exceeds the minimum assured amount (semi-annual), the selected agency will pay the additional amount based on the prevailing sand rate.

35. While conducting dredging work in Chandan reservoir, the contractor must comply with the provisions mentioned in the "National Framework for Sediment Management, 2022" issued by the Ministry of Jal Shakti, Government of India, as well as other all relevant rules, directives, and regulations of the state and Central Government. The contractor must also follow the verdicts of the Hon'ble Courts and National Green Tribunal (NGT).

36. Before the transportation/sale of sand, it is mandatory for the selected agency to pay applicable royalty and other statutory fees to the Department of Mines and Geology.

37. Only those proposals will be accepted in which during dredging process there is no damage to the actual structure of the reservoir and is done by silt management in the view of increasing storage capacity of the reservoir.

38. Contractor should submit the Report on Environmental Impact due to running project. Assessment of impact will be done on yearly basis by an independent agency, and report shall be submitted to the Water Resource Department, Govt of Bihar.

39. Before carrying out of dredging work, it will be mandatory for the contractor to identify and demarcate the area owned by Water Resources Department, Govt of Bihar.

40. Before commencing dredging work in Chandan reservoir, a comprehensive survey of the reservoir will be conducted by the selected agency to estimate the actual silt load in accordance with the prescribed methods and procedures mentioned in the Standard Operating Procedure (SOP)/ guidelines and the scope of work defined in the tender. Additionally, the selected agency will prepare a detailed project report (DPR), which will include excavation, transportation, segregation, water treatment, disposal of extracted materials, social impact assessment, environmental impact assessment and environmental management plan.

41. It will be mandatory for the contractor to fulfill all the required technical qualifications mentioned in the tender documents.

42. During the execution of the dredging work, the Water Resources Department will periodically evaluate the contractor's work based on the technical aspects, standard parameters, criteria of work and, terms and conditions mentioned in the tender. If the work is found to be unsatisfactory during the interim evaluation, appropriate punitive action will be taken by the Water Resources Department against the contractor.

27/02/25

EXECUTIVE ENGINEER
IRRIGATION DIVISION, BOUNSI (BANKA)
27.02.25

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सिंचाई प्रमंडल, बौंसी (बाँका)

Email id- eeirrdivbausi@gmail.com

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–03SBD / 2024–25
राष्ट्रीय स्पर्द्धा निविदा आमंत्रण
(केवल ई–टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाईट **www.eproc2bihar.gov.in** पर)

पत्रांक :– 241 / बौंसी, दिनांक :– 27/02/2025

1. कार्य का विवरण :–

क्रम सं०	कार्य का नाम	प्राप्त होने वाली राजस्व की प्राक्कलित राशि (लाख रू० में)	अग्रधन की राशि (रू० में) (ऑनलाईन अथवा फिजिकल / मैनुअल मोड में भुगतेय)	परिमाण विपत्र के मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑनलाईन मोड में भुगतेय) रू०	बेलट्रॉन को देय बीड प्रोसेसिंग फी (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑनलाईन मोड में भुगतेय) रू०	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	चांदन जलाशय का ड्रेजिंग के माध्यम से 10 वर्षों तक डिसिल्टेशन कार्य।	**7,536.00**	**85,36,000.00**	**10,000.00**	**5,900.00**	**10 वर्ष**

2. विज्ञापन दाता का नाम : कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बौंसी (बाँका)
3. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि : दिनांक 27.02.2025
4. निविदा कागजात अपलोड एवं डाउनलोड करने की अवधि : दिनांक 17.03.2025 से दिनांक 24.03.2025 के 03:00 अपराह्न तक (केवल www.eproc2.bihar.gov.in पर)।
5. प्री–बीड मिटिंग का समय, स्थान, एवं तिथि : दिनांक 19.03.2025 को 02:30 बजे अपराहन में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के कार्यालय कक्ष में।
6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक–26.03.2025 के अपराह्न 03:30 बजे (केवल वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)।
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय : सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर घोषित की जायगी।
8. निविदा खोलने का स्थान : केवल वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर।
9. निविदा की वैद्यता अवधि : 120 दिन
10. विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in/www.wrd.bih.nic.in/ www.state.bihar.nic.in पर देखा जा सकता है।

27/02/25

कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमंडल बौंसी (बाँका)।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सिंचाई प्रमंडल, बौंसी (बाँका)

Email id- eeirrdivbausi@gmail.com

निविदा आमत्रण सूचना संख्या–03SBD / 2024–25
राष्ट्रीय स्पर्द्धा निविदा आमंत्रण
(केवल ई–टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाईट www.eproc2bihar.gov.in पर)

पत्रांक :– / बौंसी, दिनांक :–––––––––––––––––

1. कार्य का विवरण :–

क्रम सं०	कार्य का नाम	प्राप्त होने वाली राजस्व की प्राक्कलित राशि (लाख रू० में)	अग्रधन की राशि (रू० में) (ऑनलाईन अथवा फिजिकल / मैनुअल मोड में भुगतेय)	परिमाण विपत्र के मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑनलाईन मोड में भुगतेय) रू०	बेलट्रॉन को देय बीड प्रोसेसिंग फी (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑनलाईन मोड में भुगतेय) रू०	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	चांदन जलाशय का ड्रेजिंग के माध्यम से 10 वर्षो तक डिसिल्टेशन कार्य।	**7,536.00**	**85,36,000.00**	**10.000.00**	**5,900.00**	**10 वर्ष**

2. विज्ञापन दाता का नाम :– कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बौंसी (बाँका)
3. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि :– दिनांक– 27.02.2025
4. निविदा कागजात अपलोड एवं डाउनलोड करने की अवधि:– दिनांक–17.03.2025 से दिनांक–24.03.2025 के 03:00 अपराह्न तक (केवल www.eproc2.bihar.gov.in पर)।
5. प्री–बीड मिटिंग का समय, स्थान, एवं तिथि :– दिनांक–19.03.2025 को 02:30 बजे अपराहन में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के कार्यालय कक्ष में।
6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक–26.03.2025 के अपराह्न 03:30 बजे (केवल वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)।
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय :– सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर घोषित की जायगी।
8. निविदा खोलने का स्थान :– केवल वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर।
9. निविदा की वैद्यता अवधि :– 180 दिन
10. विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in/ www.wrd.bih.nic.in / www.state.bihar.nic.in पर देखा जा सकता है।
11. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्रों में निबंधित हो अथवा राष्ट्रीय स्तर के हो, निविदा में भाग ले सकते हैं परंतु जल संसाधन विभाग में समुचित श्रेणी में रजिस्ट्रेशन कराना, उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेपटेंस प्राप्त होने के बाद अनिर्वाय होगा।
12. ई–टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को ई–टेंडरिंग हेतु पंजीकृत होना होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्त्ता का नाम (User ID), पासवर्ड (Password), अंकित हस्ताक्षर (Digital Signature) आवश्यक होगा। यह

उन्हें वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in से डाउनलोड करने/ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।

13. ई–निविदा मात्र वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता हैं।

14. (क) e-Tendering/ e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा हेतु बीड प्रोसेसिंग शुल्क एवं परिमाण विपत्र का मूल्य जो लौटाया नहीं जायगा, का भुगतान ऑन–लाईन मोड (e-Payment Mode) यानी Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/ RTGS द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

(ख) e-Tendering/ e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा में अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली राशि Online Mode (e-Payment Mode) अथवा Physical Mode/Manual Payment System में स्वीकार्य होगा। Online Mode के तहत अग्रधन की राशि Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/ RTGS के माध्यम से जमा किया जा सकता है। Physical Mode/Manual Payment System के तहत अग्रधन की राशि मात्र बिना शर्त्त वाली बैंक गारंटी (As per format in SBD) जो बीड के मान्य अवधि (120 + 45 Days)=165 दिन तक के लिए बिहार अवस्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से कार्यपालक अभियंता,सिंचाई प्रमंडल, बौंसी के पक्ष में निर्गत हो। (अगर बिहार प्रान्त के बाहर के बैंक से निर्गत बैंक गारंटी दिया जाता हैं तो एकरारनामा के पूर्व इसे बिहार अवस्थित किसी बैंक से निर्गत किया जाना अनिवार्य होगा।

(ग) **" Bids along with necessary online payments must be submitted through e-procurement portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date and time specifiedin the NIT. The department doesn't take any responsibilityfor the delay/Non submission of Tender/Non-reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/ Holidays or any other reason."**

(घ) **BSEDC Processing Fee and Tender Fee/ BOQ Fee has to be paid through e-Payment mode only. EMD may be paid either through online or ofline Mode (Bank Guarantee).**

15. संवेदक, परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाईट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाईट पर ही इलेक्ट्रोनिक निविदा पत्र को भर कर अपलोड करेंगे। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात बैंक ड्राफ्ट/अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक हैं को स्कैन कर ई– निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

16. किसी भी प्रकार का शुद्धि–पत्र को वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा। अद्योहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए निविदा रद्द/विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

17. संवेदक स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी प्रलेख PDF, MS Office (compatibility Mode), JPEG, ZIP Format में ही Upload किये जाए अन्य Format में Upload Documents Download/Open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।

18. संवेदक स्कैन कर अपलोड किए गये कागजातों की Downloadability/ Visibility से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लेंगे।

19. इन्टरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को चाहिए कि अंतिम समय के पूर्व ही कठिनाइयों से बचने हेतु बीड को अपलोड कर लें।

20. स्वामित्व एवं मालिकाना फीस (Royalty & Seigniorage Fee) के संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक 4418 दिनांक 19.10.2024 का अनुपालन करना होगा।

21. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

22. संवेदक निविदा अपलोड करने से पहले कार्य स्थल निरीक्षण कर कार्य से अवगत हो लें। बाद में कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।"

23. एक से अधिक निविदादाताओं द्वारा समान अधिकतम दर उदृत किये जाने की स्थिति में सफल निविदादाताओं का चयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधान के आलोक में लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

24. विभागीय पत्रांक–01/PMC/विविध/879/2012–पार्ट–II-124 दिनांक–04.02.2021 के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक से निर्गत अधतन वैद्य चरित्र प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

25. विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता हैं। ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना हेतु ई–टेन्डरिंग सेल, कम्प्यूटर सेल, सिंचाई भवन, पटना (0612–2235241) एवं टॉल फ्री नं०– 18005726571 अथवा ई–मेल eproc2support@bihar.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता हैं।
26. पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–3162(S) दिनांक–09.05.2016 एवं पत्रांक–2863(E) दिनांक–07.06.2017 अनुमान्य होगा।
27. जल संसाधन विभाग के ज्ञापांक–536 दिनांक–13.06.2013 के परिशिष्ट–1 के अनुरुप Joint Venture के रूप में निर्धारित अर्हता को पूर्ण करना होगा।
28. पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार पटना के अधिसूचना संख्या–7435 दिनांक–14.08.2019 के द्वारा SBD के **Clause-25 Settlement Of Disputes And Arbitration** को पूर्ण रूपेण पुनर्स्थापित किया गया हैं। **The Settlement Of Disputes And Arbitration shall be done in accordance with the provisions made in Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2008** को मान्य माना जायेगा।
29. चांदन जलाशय के डूब क्षेत्र अंतर्गत जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के स्वामित्व वाली 216.00 हे० भूमि पर 10 वर्षो के लिए निर्धारित रॉयल्टी का भुगतान करते हुए 04 मीटर की गहराई तक ड्रेजिंग के माध्यम से गाद उत्खनन कार्य कराया जाना है। यह एक स्व–वित्तपोषित योजना है, जिसमें संवेदकों द्वारा चांदन जलाशय से गाद उत्खनन कर बालू एवं सिल्ट अलग करते हुए इसके वाणिज्यिक उपयोग हेतु अनुमति दी जायेगी।
30. निविदा में निर्धारित मूल्यांकण प्रक्रिया के अनुसार सबसे अधिक राशि उद्धृत करने वाले सफल निविदादाता को उक्त ड्रेजिंग कार्य के लिए चयनित किया जाएगा, जो जल संसाधन विभाग को चांदन जलाशय से निकाले गये बालू के लिए निविदा में निर्धारित दर के अनुसार प्रत्येक वर्ष के संभावित राजस्व की राशि का भुगतान एडवांस के रूप में जमा करेगा।
31. राज्य सरकार द्वारा लागू रॉयल्टी एवं अन्य कर का भुगतान भी संवेदक द्वारा किया जायेगा।
32. बालू के अनुसूचित दर में परिवर्तन के आधार पर सफल निविदादाता द्वारा निकाले गए बालू पर जल संसाधन विभाग को भुगतान किए जाने वाली दर तथा खान एवं भूतत्व विभाग को भुगतान किए जाने वाली रॉयल्टी की दर में भी परिवर्तन होगा।
33. चांदन जलाशय में ड्रेजिंग कार्य प्रारंभ करने से पहले, चयनित एजेंसी को बालू के खनन, भंडारण एवं बिक्री के लिए पर्यावरणीय एवं अन्य आवश्यक वैधानिक मंजूरियाँ प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस योजना हेतु वांछित सभी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी तथा इन प्रायोजन हेतु व्यय की जाने वाली राशि का वहन संवेदक द्वारा किया जायेगा। इसके अलावा खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा निर्धारित अन्य सभी वैधानिक अनिवार्य नियमों का पालन करना संवेदक का दायित्व होगा।
34. चयनित संवेदक को निविदा दस्तावेज के अनुसार प्रतिवर्ष निकाले जाने वाले खनिज की न्यूनतम सुनिश्चित मात्रा के अनुरूप राशि का भुगतान करना होगा। यह भुगतान ड्रेजिंग अवधि शुरू होने से पहले दो छः माही किस्तों में किया जायेगा। निकाले गये खनिज की वास्तविक मात्रा का अर्द्धवार्षिक मूल्यांकण किया जायेगा। यदि यह मात्रा न्यूनतम सुनिश्चित मात्रा (अर्द्ध–वार्षिक) से अधिक है, तो चयनित एजेंसी अतिरिक्त मात्रा के लिए बालू के अद्यतन दर के अनुसार राशि का भुगतान करेगी।
35. चांदन जलाशय में ड्रेजिंग कार्य करते समय, संवेदक को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी "नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सेडिमेंट मैनेजमेन्ट, 2022" में उल्लिखित निर्देशों तथा अन्य सभी लागू नियम, राज्य और भारत सरकार के अधिनियम और माननीय न्यायालयों/राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के प्रासंगिक आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
36. चयनित एजेंसी द्वारा बालू के प्रेषण/बिक्री से पहले, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार अंतर्गत लागू अग्रिम रॉयल्टी एवं अन्य वैधानिक शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
37. ड्रेजिंग कार्य के दौरान जलाशय की वास्तविक संरचना को नुकसान पहुँचाए बिना सिल्ट प्रबंधन एवं जलाशय की वास्तविक भंडारण क्षमता को बहाल करने के उद्देश्य को प्राप्त करने वाले प्रस्ताव ही अनुमान्य होंगे।
38. संवेदक द्वारा इस योजना के कारण हो रहे पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन प्रत्येक वर्ष स्वतंत्र पक्ष द्वारा कराते हुए प्रतिवेदन जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार को समर्पित किया जायेगा।

39. संवेदक द्वारा ड्रेजिंग कार्य कराने से पूर्व जल संसाधन विभाग के स्वामित्व वाले क्षेत्र को चिन्हित कर सीमांकन करना अनिवार्य होगा।

40. चांदन जलाशय में ड्रेजिंग कार्य प्रारंभ करने से पहले, चयनित एजेंसी द्वारा एस०ओ०पी०/मार्गदर्शिका एवं निविदा में निर्धारित कार्य के दायरों में उल्लिखित निर्दिष्ट तरीकों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार जलाशय में सिल्ट लोड का वास्तविक अनुमान करने के लिए जलाशय का व्यापक सर्वेक्षण किया जायेगा। इसके अलावा, चयनित एजेंसी द्वारा एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी०पी०आर०) तैयार की जायेगी, जिसमें ड्रेजिंग क्षेत्र, ड्रेजिंग की पूरी प्रक्रिया यथा–निष्कर्षण, परिवहन, पृथकीकरण, पानी का ट्रीटमेंट एवं खुदाई की गई सामग्रियों का निपटान योजना तथा सामाजिक प्रभाव आकलन, पर्यावरण प्रभाव आकलन एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना आदि शामिल होगी।

41. निविदादाताओं द्वारा निविदा में निर्दिष्ट शर्तों एवं सभी आवश्यक तकनीकी अर्हता पूरी करना अनिवार्य होगा।

42. ड्रेजिंग कार्य की निर्धारित समय–सीमा के दौरान (समय–समय पर) जल संसाधन विभाग द्वारा संवेदक के कार्यों का निविदा में निर्धारित तकनीकी पहलुओं, मापदंडों, नियमों एवं शर्तो के आलोक में मूल्यांकण किया जायेगा। मध्यावधि मूल्यांकण में संवेदक का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर जल संसाधन विभाग द्वारा संवेदक पर यथोचित दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

27/02/25

कार्यपालक अभियंता

सिंचाई प्रमंडल, बौंसी(बाँका)

पत्रांक :– 241 /बौंसी, दिनांक :– 27/02/2025

प्रतिलिपि :–सूचना एवं जन–संपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचना की एक प्रति एवं एक सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं लोकप्रिय राष्ट्रीय/स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु समर्पित।

27/02/25

कार्यपालक अभियंता

सिंचाई प्रमंडल, बौंसी (बाँका)